BEFORE THE FIRST APPEALLANT AUTHORITY

(Under RTI Act, 2005)

प्रथम अपीलार्थी प्राधिकारी के समक्ष (आरटीआई अधिनियम, 2005 के तहत)

Shri Ashish YadavAppellant

Vs.

CPIO, POWERGRID

NRTS-II, JammuRespondent

Dated: 19.05.2022

ORDER

- Appellant vide his application Reg No. PGCIL/R/E/22/00139 dated 12.04.2022 which
 was received through online medium in this office on 13.04.2022 has requested
 information under RTI Act, 2005 in respect of application fee of Rs 300/- for the
 Recruitment of Diploma Trainee (Electrical/Civil) for Ladakh & Kashmir in NRTS-II, Adv.
 Dated 21.03.22.
- 1. अपीलकर्ता ने अपने आवेदन पंजीकरण संख्या पीजीसीआईएल/आर/ई/22/00139 दिनांक 12.04.2022 के माध्यम से एनआरटीएस- II में लद्दाख और कश्मीर के लिए डिप्लोमा ट्रेनी (इलेक्ट्रिकल / सिविल) की भर्ती के आवेदन शुल्क 300 रुपये/ विज्ञापन दिनांक 21.03.22 के संबंध में आरटीआई अधिनियम, 2005 के तहत आवेदन किया था, जो इस कार्यालय में दिनांक 13.04.2022 को ऑनलाइन माध्यम से प्राप्त हुआ था ।
- 2. The CPIO, NRTS-II, POWERGRID, Jammu has provided the sought information to the applicant through online medium vide letter dated 13.05.22
- 2. सीपीआईओ, एनआरटीएस-II, पावरग्रिड, जम्मू ने पत्र दिनांक 13.05.2022 के द्वारा आवेदक को ऑनलाइन माध्यम से मांगी गयी जानकारी प्रदान की है।

- An appeal has been filed by the applicant under Section 19 (1) of RTI Act, 2005 on 12.05.2022 on grounds of not providing RTI Reply within time limit. The said appeal has been received through online medium in this office on 13.05.2022.
- 3. आवेदक द्वारा आरटीआई अधिनियम, 2005 की धारा 19(1) के तहत 12.05.2022 को समय सीमा के भीतर आरटीआई जवाब नहीं देने के आधार पर अपील दायर की गयी है। उक्त अपील इस कार्यालय में दिनांक 13.05.2022 को ऑनलाइन माध्यम से प्राप्त हुई है।.

4. I have considered the following documents:

- (a) RTI Application dated 12.04.2022, which was received through online medium in this office on dated 13.04.2022
- (b) Reply of CPIO, NRTS-II to the applicant through online medium vide letter dated 13.05.2022
- (c) Appeal under Section 19 (1) of RTI Act, 2005, which was received through online medium in this office on dated 13.05.2022
- 4. मैंने निम्नलिखित दस्तावेजों पर विचार किया है:
 - (ए) आरटीआई आवेदन दिनांक 12.04.2022, जो इस कार्यालय में दिनांक 13.04.2022 को ऑनलाइन माध्यम से प्राप्त हुआ था।
 - (बी) सीपीआईओ, एनआरटीएस-II, के पत्र दिनांक 13.05.2022 के द्वारा ऑनलाइन माध्यम से आवेदक को उत्तर पत्र ।
 - (सी) आरटीआई अधिनियम, 2005 की धारा 19 (1) के तहत अपील, जो इस कार्यालया में दिनांक 13.05.2022 को ऑनलाइन माध्यम से प्राप्त हुई थी।
- After going through the above documents, I found that information as requested by the appellant was regarding application fees (Rs 300/-) for the Recruitment of Diploma Trainee (Electrical/Civil) for Ladakh & Kashmir in NRTS-II, Advt Dated 21.03.22.
- 5. उपरोक्त दस्तावेजों को देखने के बाद, मैंने पाया कि अपीलकर्ता द्वारा मांगी गई जानकारी एनआरटीएस-II, के विज्ञापन दिनांकित 21.03.22. में लद्दाख और कश्मीर के लिए डिप्लोमा ट्रेनी (इलेक्ट्रिकल / सिविल) की भर्ती के लिए आवेदन शुल्क (300 / - रुपये) के संबंध में थी।

Decision:

After perusal of records & relevant provisions, I conclude that the reply of the CPIO is in order and the information has been provided within the time limit as per the provisions of RTI Act, 2005.

फैसलाः

अभिलेखों और प्रासंगिक प्रावधानों के अवलोकन के बाद, मैं यह निष्कर्ष निकालता हूं कि सीपीआईओ का उत्तर सही है और सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के अनुसार समय सीमा के भीतर ही सूचना प्रदान कराई गयी है।

The appeal is dispose off accordingly.

तदनुसार अपील का निपटारा किया जाता है।

्केलाश राठौर)

कार्यपालक निदेशक एनआरटीएस-२, पावरग्रिड जम्मू